DAWN WASHCO SCHOOL

VILL. & POST - KASARA, DISTT. - MAU (U.P.)
Mob. : 9452830479

WORK IS WORSHIP

Ref. : ....

Date : ....

To,
The Joint Director of Education
Azamgarh Mandal
Azamgarh, UP.

Sir,

With due respect, I beg to inform you that CBSE vide their circular dated 8.7.2013 has amended Affiliation Bye-Laws of the Board for their affiliation (Copy enclosed).

In this connection, I beg to inform you that our school is recognized upto 8th class from UP Government and we have applied for provisional affiliation upto Secondary Level.

This is for your kind information please.

Thanking You.

Encls : As above

Yours faithfully

Manager

26-06-2014
संयुक्त शिक्षा निदेशक
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

Principal
Dawn Washco School
Kasara, Mau (U.P.)

MANAGER
DAWN WASHCO SCHOOL
KASARA, MAU

Principal
Dawn Washco School
Kasara, Mau (U.P.)

MANAGER
DAWN WASHCO SCHOOL
KASARA-MAU

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AB 542472

NOTARY

AFFIDAVIT

Before : **Secretary**
Central Board of Secondary Education
Preet Vihar, Delhi - 110092

I, **Dinesh Nandan Rai** S/o **Late Shri Kapil Dev Rai** R/o **Astupura, Maunath Bhanjan, Distt.** Mau Age **65** Years.

1. That the deponent is the Manager in **Dawn Washco School, Village & Post - Kasara, Distt. Mau** as such deponent is fully conversant with the facts, narrated in the affidavit.
2. That the Trust of Non - proprietary Character.
3. That the School Management Committee Members are not related to each other.

NOTARY
Arvind Kumar Rai
Advocate
Dis Court
Mau
Regd. No.
GOVT. OF INDIA

दिनेशनन्दनराय

Deponent

VEREIFICATION

I, the deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 3 of this affidavit are true to my personal knowledge signed and verified on this 18-06-2013 at Mau.

दिनेशनन्दनराय

Deponent

MANAGER
DAWN WASHCO SCHOOL
KASARA, MAU

PRINCIPAL
DAWN WASHCO SCHOOL
KASARA, MAU

Principal
Dawn Washco School
Kasara, Mau (U.P.)

18/6/13

दिनेशनन्दनराय

MANAGER
DAWN WASHCO SCHOOL
KASARA-MAU

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10 CANCELLED Rs.10

NOTARIAL NOTARIAL

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AC 271858

NOTARY Date 27/6/14

AFFIDAVIT

Before - **Secretary,**

Central Board of Secondary Education

Shiksha Kendra-2 Community Centre

Preet Vihar, Delhi-110092

1- I, DINESH NANDAN RAI S/o LATE KAPIL DEV RAI R/o **Mohl-Astupura, Mau Nath Bhanjan, Tehsil-Sadar Distt-Mau U.P.**

2- That the deponent is the Manager of Dawn Washco School, KasaraTehsil-Sadar, Distt-Mau U.P. and has informed to the Joint Director of Education Azamgarh Mandal Azamgarh (Receiving date 26-06-2014), that the school has applied for Provisional Affiliation upto Secondary level.

Deponent

MANAGER
DAWN WASHCO SCHOOL
KASARA, MAU

Principal
Dawn Washco School
Kasara, Mau (U.P.)

MANAGER
DAWN WASHCO SCHOOL
KASARA-MAU

VERIFICATION

I the deponent do hereby verify that contents of above matter of this affidavit are true to my personal knowledge. Signed and verified on this 26th day of June 2014 at Civil Court Mau, Distt-Mau, U.P.

NOTARY
MAJID ALI KHAN
Area-Civil Court
MAU
Regn. No.
(U.P.)

Principal
Dawn Washco School
Kasara, Mau (U.P.)

Deponent

MANAGER
DAWN WASHCO SCHOOL
KASARA, MAU

MANAGER
DAWN WASHCO SCHOOL

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।

सेवा में,

डान वास्को स्कूल,
कसारा, मऊ।

पत्रांक : 853-56 /2014-15 दिनांक : 31-05-2014

विषय :–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 31.10.2013 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **डान वास्को स्कूल, कसारा, मऊ** को तारीख 31.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री–प्राईमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा;
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
   (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
   (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
   (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
   (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा ;
   (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ;
   (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे ;
   (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ; और
   (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमो को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल

Principal
Dawn Washco School
Kasara, Mau (U.P.)

MANAGER
DAWN WASHCO SCHOOL
KASARA-MAU

कक्षाओं की संख्या
प्रधानाध्यापक–सह कार्यालय–सह भंडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुंच
अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है,
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित यथा कोड संख्यांक 09620903616 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
16. सोसाइटी के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्नक उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय
(जे0के0वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।
3/5/14

पृ0सं0 /__________ / 2014–15 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कोपागंज, मऊ।

(जे0के0वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।

Principal
Dawn Washco School
Kasara, Mau (U.P.)

MANAGER
DAWN WASHCO SCHOOL
KASARA-MAU